

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया स्कीम,
सिविल लाईन्स फाटक के पास, जयपुर-18


क्रमांक.एफ.53() निग./डीएलबी/23/222
आयुक्त/उपायुक्त/अधिशायी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका
राजस्थान।

जयपुर, दिनांक . 14/07/2024.

विषय:- सीज खोलने के आदेशों में जारी निर्देशों की पालना निर्धारित अवधि में
कर, मासिक पालना रिपोर्ट निदेशालय में भिजवाने बाबत।
संदर्भ:-विभागीय आदेश पत्रांक 1213-1463 दिनांक 24.05.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेश पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख
है कि विभागीय आदेश दिनांक 14.07.2022 के तहत निकायों द्वारा प्रेषित सीज खोलने के
प्रस्तावों के साथ संलग्न प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की पालना के संबंध में निदेशालय
स्तर में जारी आदेश में वर्णित शर्तों/निर्देशों की पालना 60 दिवस (दो माह) में कर पालना
रिपोर्ट निदेशालय द्वारा चाही जाने के बावजूद आज दिनांक तक कोई पालना रिपोर्ट विभाग
को नहीं भिजवाई गई है, जबकि संदर्भित विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2023 द्वारा इस बाबत
स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं।


अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न तालिका में प्रत्येक प्रकरण की
पालना रिपोर्ट पृथक-पृथक अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध करावें तथा भविष्य में उक्त
तालिका में रिपोर्ट प्रतिमाह की पन्द्रह (15) तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित
करें। तथा भविष्य में विभागीय आदेश दिनांक 14.07.2022 के अन्तर्गत सीज खोलने के प्रस्ताव
(आयुक्त/अधिशायी अधिकारी) के माध्यम से ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।


(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक.एफ.53() निग./डीएलबी/23/222-223
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक . 14/07/2024.

1. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान को संदर्भित आदेश दिनांक
24.05.2023 के अनुसार वांछित मासिक सूचना/रिपोर्ट विनिर्दिष्ट कालावधि में प्रेषित करने
हेतु।
2. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त सचिव